न्यायालय उपजिलाधिकारी हसनगंज, उन्नाव

वाद सं0 17 /वर्ष 07-08 अंतर्गत धारा 143 उ0प्र0ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधि0

ग्राम - सोहरामऊ परगना - मोहिन्दापरसंदन तहसील - हसनगंज जनपद - उन्नाव

सरस्वती एजूकेशनल एण्ड कल्चरल

सोसाइटी द्वारा सचिव बद्रीविशाल तिवारी बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद बद्रीविशाल तिवारी पुत्र शिवऔतार तिवारी सचिव सरस्वती एजूकेशनल एण्ड कल्चरल सोसाइटी 3/221 विपुल खण्ड गोमती नगर लखनऊ ने भूमि सं0 57/0.202 व 81मि/0.202 हे0 स्थित ग्राम सोहरामऊ उक्त को अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु इस अभिकथन के साथ दायर किया गया कि सोसायटी प्रश्नगत भूमि की संक्रमणीय अधिकार वाली भूमिधर है उक्त भूमि पर वर्तमान समय में कृषि बागवानी मत्स्य पालन कुक्कुट पालन इत्यादि कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि उक्त भूमि का शैक्षणिक उपयोग किया जा रहा है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भूमि का गैर कृषि उपयोग हो जाने पर उक्त आशय की घोषणा प्राप्त किया जाना आवश्यक है इसलिए यह प्रार्थना पत्र दिया गया है।प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में तहसीलदार हसनगंज से जांच आख्या मंगाई गयी तथा वाद दर्ज रजिस्टर का क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक का बयान हेतु तलब किया गया तथा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय मंगाई गयी। तथा वादी का सशपथ बयान अंकित किया गया।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का भली भांति अवलोकन किया।क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक ने अपने सशपथ बयान में यह कहा है कि प्रश्नगत भूमि की स्थलीय जांच के उपरान्त अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या मेरे द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रश्नगत भूमि गांव सभा की भूमि नहीं है बल्कि आवेदक के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। मेरी आख्या को तहसीलदार महोदय द्वारा भी संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है। वादी ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बंध में कोई स्वामित्व सम्बंधी विवाद नहीं है यह भूमि वादिनी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है तथा प्रश्नगत ग्राम लोडा के अंतर्गत चयनित है। प्राधिकरण लोडा द्वारा प्रस्तावित सभी शर्तों का पालन करेगा। उक्त भूमि किसी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक नहीं है। तहसीलदार हसनगंज की आख्या से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर वर्तमान समय में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त गाटा पर निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा अकृषिकीय घोषित किये जाने योग्य है। अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रेषित की गयी विधिक राय से यह प्रमाणित है कि तहसीलदार हसनगंज की आख्या के आधार पर प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। अतएव प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि संख्या 57/0.202हे व 81मि/0.202हे0 स्थित ग्राम सोहरामऊ को अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

ग्राम सोहरामऊ परगना मोहिन्दापरसंदन तहसील हसनगंज जनपद उन्नाव की भूमि संख्या 57/0.202हे व 81मि/0.202हे0 को उ0प्र0 ज0 वि0 एवं भूमि व्य0अधि0की धारा 143 के अंतर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये। पत्रावली [illegible] आवश्यक कार्यवाही [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]

(मार्कण्डेय सिंह)

उपजिलाधिकारी हसनगंज

उन्नाव

आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।